IMPORTANT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक-एफ()पराविविधि/2020/ 3598 जयपुर, दिनांक 23-3-2020

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
समस्त।

कोरोना वायरस **(COVID-19)** के संक्रमण रोकने के संबंध में निम्न दिशा-निर्देश प्रदान किये जाते हैं। इसे समस्त ब्लाक विकास अधिकारियों एवं समस्त ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा पालना करवाया जाना सुनिश्चित करावें -

1. दिनांक 1 मार्च 2020 के पश्चात विदेशों से आये लोगों की सूची जनप्रतिनिधियों की सहायता से बनाना।
2. ग्राम पंचायत, पंचायत समिति क्षेत्र में यदि कोई कोरोना वायरस का संदिग्ध व्यक्ति पाया जाता है तो आमजन इसकी सूचना ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद को दे सकता है। इस हेतु वेबसाईट एवं संबंधित व्यक्ति जिसके मोबाईल न0 पर सूचना दी जानी है का मोबाईल नं0 भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें। एवं आमजन/जन प्रतिनिधियों को प्रचार प्रसार करें।
3. सार्वजनिक भवनों में सोडियम हाइपोक्लोराइट का स्प्रे कराना।
4. ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों एवं एनजीओ के माध्यम से कोरोना वायरस के संक्रमण रोकने हेतु प्रचार प्रसार करवाना एवं समझाइश सुनिश्चित करना।
5. किसी भी स्थान पर 5 से अधिक लोगों के इकठठा होने पर कंट्रोल रूम को सूचित करना।
6. ग्रामीण स्तर पर सार्वजनिक मेले, सामूहिक आयोजनों पर रोक सुनिश्चित करना।
7. जिला परिषद व जिले की समस्त पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों में किसी भी आमजन का कोई कार्य लंबित हो या अपने किसी कार्य के लिये प्रार्थना-पत्र देना चाहे तो इसके लिये जिला-परिषद/ पंचायत समिति/ ग्राम पंचायत की वेबसाईट, ईमेल आई0डी0, या अन्य किसी सोशल मीडिया की आई0डी0 यथा फेसबुक, वाट्सएप, आदि आपकी वेबसाईट पर प्रदर्शित करें, एवं जिला परिषद व जिले की समस्त पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।

उपरोक्त निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें। आपका सहयोग अपेक्षित है।

(डॉ आरुषि मलिक)
विशिष्ठ शासन सचिव

Scanned by CamScanner